15

Impact Factor 6.875 (IIFS Indexing) ISSN : 2393-8358

Interdisciplinary Journal of Contemporary Research

An International Peer Reviewed Refereed Research Journal

Vol. 12, No. 5 May, 2025

Recognized Research Magazine as per UGC and International Standards

EDITOR

Dr. H.L. Sharma
Associate Professor
Shimla, Himachal Pradesh

Dr. Hans Prabhakar Ravidas
Assistant Professor
Department of Performing Arts,
National Sanskrit University, Tirupati

Dr. Anil Kumar
Assistant Professor, Department of History
Rajdhani College, University of Delhi

VPO Nandpur, Tehsil-Jubbal, District-Shimla, Himachal Pradesh
email : ijcrournal971@gmail.com, Website : ijcrjournals.com

Impact Factor : 6.875 (IIFS)
ISSN : 2393-8358

अनुक्रमणिका

▸	भारतीय फिल्म–गीतों में लोकतत्व **डॉ० कुमारी रागिनी**	1-4
▸	लैंगिक असमानता एवं महिला स्वास्थ्य का मानवाधिकार संदर्भ **डॉ० मनीषा कुमारी**	5-10
▸	कबीर की अनुभूति का सत्य **डॉ0 परवीन निज़ाम अंसारी**	11-14
▸	मोदी कालीन विदेश नीति के आधारभूत तत्व **डॉ0 रविकान्त सिंह**	15-18
▸	बलवंत राय समिति का महत्त्व **चन्दन कुमार यादव एवं डॉ0 संजय शर्मा**	19-22

Interdisciplinary Journal of Contemporary Research, Vol. 12, No. 5, May, 2025
(An International Peer Reviewed Multidisciplinary Refereed Research Journal)
Impact Factor : 6.875 (IIFS)
ISSN : 2393-8358

बलवंत राय समिति का महत्त्व

चन्दन कुमार यादव
शोधार्थी, राजनीति विज्ञान, सहकारी पी0जी0 कॉलेज, मेहरावाँ, जौनपुर, उ0प्र0
डॉ0 संजय शर्मा
शोध निर्देशक
राजनीति विज्ञान विभाग, सहकारी पी0जी0 कॉलेज, मेहरावाँ, जौनपुर, उ0प्र0

बलवंत राय समिति पंचायती राज की आधार भूमि है। इसकी स्थापना जनवरी 1957 में की गई। तत्कालीन प्रशासन ने 1957 जनवरी में परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए राज्य की ओर से अनुदेशित कर दी गयी। इस कमेटी को बलवन्त राय मेहता कमीशन के रूप में जाना जाता था। इस कमेटी ने कुछ आधारभूत सुझाव प्रस्तुत किये–[1]

1. इस समिति ने तृस्तरीय ग्रामीण संरचना का सुझाव दिया जो गाँव से जिले तक एक–दूसरे से सहबद्ध हों।
2. शक्ति का यह विकेन्द्रीकरण उत्तरदायित्व के साथ होना चाहिए।
3. इन संस्थाओं को उत्तरदायित्व को वहन करने के लिए पर्याप्त संसाधनों को मुहैया कराना चाहिए।
4. इन संस्थाओं की योजनाएँ एवं प्रोग्राम सभी स्तरों पर जुड़े रहने चाहिए।
5. ये पंचातयती साधन प्रणाली इस प्रकार से विकसित की जानी चाहिए ताकि वे भविष्य में अपनी शक्तियों का स्थानान्तरण सुचारु रूप से कर सकें।
6. उच्च स्तरीय निकाय परिषद अपनी निम्न स्तर की समितियों को परामर्श देने का कार्य करे।

इस समिति ने रिपोर्ट की समीक्षा प्रस्तुत करते हुए लिखा कि प्रगति तब तक संभव नहीं है जब तक कि समितियों को उत्तरदायित्व एवं शक्ति न प्राप्त हो जाय। जब समितियाँ अपनी समस्याओं को समझने लगेंगी तथा उत्तरदायित्व अनुभव करेंगी अपने शक्तियों का प्रयोग अपने चुने गये प्रतिनिधियों की सहायता से करेंगी साथ ही स्थानीय अनुशासन पर बुद्धिमानीपूर्ण दृष्टि रखेंगी। अपने निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति के लिए साधनों का विकास करते हुए शक्तियों के विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया को अपनायेंगी इसके पश्चात् 1959 में दो मूलभूत वस्तुनिष्ठ उद्देश्य जोड़े गये– (1) प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण (2) योजनाबद्ध कार्यक्रमों में स्थानीय लोगों की भागीदारी।

बलवन्त राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय प्रणाली को अनुदेशित किया।[2] वे है– (1) ग्राम पंचायत स्तर (2) पंचायत समिति स्तर (3) जिला परिषद स्तर। स्पष्ट शब्दों में जिला स्तार पर जिला परिषद, मध्यवर्त्ती स्तर (ब्लाक समिति) निम्न स्तर पर (ग्राम पंचायत)। वास्तव में सैद्धान्तिक रूप में पंचायती राज के इतिहास में उल्लेखनीय कदम था जहाँ प्रजातांत्रिक स्तर पर विकेन्द्रीकरण में जनता की भागीदारी थी। यहाँ बलवन्त राय मेहता समिति की शर्त्तों एवं अधिकार क्षेत्र पर प्रकाश डालना आवश्यक है क्योंकि इसी समिति की आधारभूमि का आगे व्यापक विकास होता है। इसकी सिफारिशों के तीन सोपान इस प्रकार है–

(1) ग्राम पंचायत के कार्य–

1. घरेलू उपयोग के लिए जल की व्यवस्था।
2. गलियों, नालियों, तालाबों का रख रखाव।
3. भूमि का प्रबन्ध।
4. संकट में सहायता प्रदान करना।
5. प्राथमिक पाठशालाओं का परिवीक्षण।
6. ऑकड़ों का संग्रह तथा संरक्षण।
7. पिछड़े वर्गों का कल्याण।
8. गाँवी की सड़कों, पुलियों, पुलों और नालों का रख रखाव।
9. पशुओं से सम्बन्धित अभिलेखों का रख रखाव।
10. गाँव की गलियों में प्रकाश की व्यवस्था।
11. स्वच्छता।

इन कामों के अतिरिक्त, ग्राम पंचायत विकास परियोजाओं अथवा अन्य कार्यकलापों में पंचायत समिति के अभिकर्त्ता के रूप में कार्य करने का अधिकार।

Impact Factor : 6.875 (IIFS)
ISSN : 2393-8358

इन समिति ने ग्राम पंचायत के आय के स्रोत के साधनों के बारे में निम्न सुझाव दिये–

1. **सम्पत्ति कर अथवा** गृहकर
2. **हाटों तथा बाजारों** पर कर
3. **चुंगी अथवा सीमा कर**
4. **प्रकाश शुल्क**
5. **मवेशी खानों से आय**
6. **कसाई खानों** पर शुल्क
7. **पंचायत समिति से अनुदान**
8. **स्थानीय क्षेत्रों में बिकने वाले** पशुओं पर पंजीकरण शुल्क
9. **जल–कर**
10. **सफाई कर**
11. गाड़ियों, साइकिलों, नावों, बोझा ढोने वाले पशुओं आदि वाहनों पर कर।

पंचायत समिति इस तथ्य से अवगत थी कि पंचायतों के करों की वसूली सन्तोषजनक नहीं थी।[3] इसलिए समिति ने संस्तुति दी थी कि कानून द्वारा यह व्यवस्था की जानी चाहिए जो व्यक्ति वर्ष के अन्त तक कर न चुकाया हो उसे पंचायत चुनाव मतदान से वंचित कर दिया जाय।

पंचायत समिति– भारत में स्थानीय ग्रामीण शासन ने पंचायत समिति के मध्यवर्ती स्तर पर रखा गया है। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय व्यवस्था में पंचायत समिति को सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण माना। उसके पास आवश्यक कार्यकारी शक्ति और समुचित साधन होने की सिफारिश की उसे सरकार के हस्तक्षेप से मुक्त होने की भी सिफारिश की।[4]

पंचायत समिति के क्षेत्राधिकार–

बलवंत राय मेहता समिति पंचायत समिति के क्षेत्राधिकार सन्तुलित रूप में प्रस्तुत करती है। समिति के अनुसार ग्राम पंचायत क्षेत्रफल, जनसंख्या तथा वित्तीय साधनों की दृष्टि से इतनी छोटी है कि उसे प्रशासन की सफल इकाई नहीं बनाया जा सकता और जिला स्तर की संस्था जनता से इतनी दूर है कि वह कार्यकलाप में सक्रिय रूप में सम्मिलित नहीं हो सकती। अतः पंचायत समिति का क्षेत्र वही होना चाहिए जो विकास खण्ड का होता है। यह क्षेत्र इतना बड़ा है कि इसके काम को ग्राम पंचायत कुशलतापूर्वक नहीं कर सकती। साथ ही इतना छोटा भी है कि उसके निवासियों की कामों में रुचि हो सकती है और वे इसकी सेवा करने के लिए आकृष्ट हो सकते हैं ऐसी स्थिति में विकास खण्ड में अधिक से अधिक बीस परिमंडल होने चाहिए तथा प्रत्येक परिमंडल की संख्या 4000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। पंचायत समिति के कार्य–पंचायत समिति ग्रामीण स्थानीय शासन की इकाई के रूप में कार्य करने के अतिरिक्त उन सब विकास कार्यों के लिए भी एक मात्र सत्ताधारी संख्या है जिसका सम्बन्ध अनन्य रूप से उसके क्षेत्र से जुड़ा होगा। उसके विकास कार्यक्रम में कृषि, पशु पालन, सहकारिता, लघु सिंचाई, ग्रामीण उद्योग, प्राथमिक शिक्षा, स्थानीय संचार साधन, सफाई, चिकित्सा, स्थानीय सुविधाएँ तथा इसी प्रकार के अनेक विषय इसमें सम्मिलित हैं।

पंचायत समिति के वित्तिय अधिकार सामान्य रूप से इस देश में ग्रामीण तथा नगरीय दोनों ही प्रकार के स्थानीय शासन सम्बन्धी कार्यों को पूरा करने के लिए वित्त का अभाव रहा है इसलिए बलवन्त राय समिति ने इस समस्या की ओर समुचित ध्यान देते हुए पंचायत समिति का वित्त सम्बन्धी निम्नलिखित अधिकार प्रदान किये[5]–

1. विकास खण्ड क्षेत्र में वसूल किये गये भू–राजस्व का एक निश्चित प्रतिशत समिति को प्राप्त होगा।
2. व्यवसायों तथा उद्यमों पर कर।
3. सड़क तथा पुलों पर चुंगी।
4. मनोरंजन के साधनों पर कर।
5. समय–समय पर लगने वाले मेलों और हाटों से प्राप्त लाभ या कर।
6. ऐच्छिक सार्वजनिक चन्दे।
7. सरकार से प्राप्त अनुदान।
8. मोटरगाड़ी भी कर के एक भाग है।
9. प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी उपकर।
10. यात्रा कर।
11. सम्पत्ति से– जैसे नदी घाटों मत्स्य क्षेत्रों से मिलने वाला किराया।

12. भू–राजस्व, जल कर आदि पर उपकर आदि।

इसके अतिरिक्त समिति ने लिखा था: इस समय सरकार ग्रामीण विकास पर धन मुख्यतः अपने शासन तंत्र द्वारा ही खर्च करती है, केवल छोटी–छोटी रकमें ग्राम पंचायतों के माध्यमों से व्यय की जाती है। किन्तु सार्वजनिक धन एक अन्य तरीके से भी खर्च किया जाता है अर्थात उन संस्थाओं को जो गैर सरकारी निकाय रह जाती है और जो असंविधिक होती हैं प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता दे दी जाती है। समिति ने लिखा कि किसी खण्ड क्षेत्र में केन्द्र और राज्य द्वारा जो भी धनराशि खर्च की जाये, निस्यवाद से पंचायत समिति को दे दी जानी चाहिए और उसको प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से खर्च करने की पूर्ण स्वतंत्रता हो। केवल उन संस्थाओं को अपवाद माना जा सकता है जिनको सहायता देना या तो पंचायत के कार्य कलाप के बाहर है या उनके वित्तीय साधनों से परे है। पंचायत समिति में 20 से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए।

निर्वाचित प्रतिनिधि समिति में ऐसी दो महिलाओं को सम्मिलित कर लें जिनकी स्त्रियों तथा बच्चों में काम करने की रुचि हो। वहाँ परिगति जातियों की संख्या पंचायत समिति के क्षेत्र की जनसंख्या का पाँच प्रतिशत से अधिक हो, वहाँ परिगणित जातियों में से कए व्यक्ति को सम्मिलित कर लिया जाये, यदि उसकी संख्या समिति के क्षेत्र की जनसंख्या का पाँच प्रतिशत अधिक हो।

इसके अतिरिक्त पंचायत समिति दो ऐसे स्थानीय निवासियों को ले सकती है, जिनका प्रशासन सार्वजनिक जीवन अथवा ग्रामीण विकास का अनुभव समिति के लिए लाभप्रद सिद्ध हो सके।

जिला परिषद–

बलवंत राय मेहता समिति का विचार था कि जिले के अन्तर्गत काम करने वाली पंचायत समितियों के लिए आवश्यक है कि जिला स्तर पर कोई ऐसा संगठन हो जो उनके बीच सामंजस्य स्थापित कर सके। इसलिए समिति ने कहा कि जिला परिषद होनी चाहिए। उसका काम केवल तालमेल बैठाना और पर्यवेक्षण करना होना चाहिए, उसके हाथों में कार्यकारी शक्ति नहीं होनी चाहिए।

जिला परिषद में जिलों की पंचायत समितियों के अध्यक्ष जिले के सब विधायक तथा सदस्य लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, शिक्षा, पिछड़े वर्गों का कल्याण, सार्वजनिक निर्माण तथा अन्य विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी सम्मिलित होने चाहिए। जिससे काम तीव्रगति से निबटाया जा सके।

जिला परिषद के कार्य–

बलवंत राय मेहता समिति ने जिला परिषद के लिए निम्नलिखित कार्यों का सुझाव दिया–

1. जिला–परिषद को जिले की पंचायत समितियों के बजट का परीक्षण करना चाहिए।
2. वह सरकार द्वारा पूरे जिले के लिए दी गयी धनराशि को पंचायत समितियों में वितरित करेगी।
3. वह जिले के खण्डों की योजनाओं को एकीकृत तथा समन्वित करेगी।
4. वह पंचायत समितियों द्वारा अनुदानों के लिए दिये गये आवेदन पत्रों को एकीकृत करेगी तथा उन्हें सरकार को अग्रसारित करेगी।

उपर्युक्त कार्यों के साथ ही वह जिले की पंचायत समितियों के कार्यों का परीक्षण भी करेगी।

इस प्रकार हम देखते हैं कि बलवन्त राय मेहता समिति ने पंचायतों के लिए त्रिस्तरीय योजना का कार्यक्रम रखा। यह पंचायत के क्षेत्र में विशिष्ट स्थापना का संगठन है जो प्रत्येक क्षेत्र के सभी वर्गों, लोगों, बच्चों और महिलाओं को लाभ पहुँचाता है।[6]

इसके बाद (1959–1964) तक पंचायत राज का उत्थान काल रहा। राजस्थान और आन्ध्रप्रदेश दो प्रान्तों ने पंचायती राज का अनुपाल किया। यह पंडित नेहरु का योजना काल था। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में दीप जलाकर इसका प्रारंभ करते हुए कहा कि अब समय आ गया है जब हम योजना का उत्तरदायित्व लोगों को समर्पित करेंगे मेरा विश्वास है भारत के प्रत्येक भाग में जहाँ योजना लोगों को सुपुर्द की जायेगी वहाँ सुखद परिणाम प्राप्त होगा। पंचायत राज ही सच्चा स्वराज है। हम लोगों पर जितना अधिक विश्वास करेंगे लोगा राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग देंगे।

वास्तव में पंचायती राज जो बात गाँधी जी ने कही थी, उसे नेहरु जी ने विवेक से समझा था तथा हृदय से उसका उपयोग करने का प्रयास किया था। 'रियल स्वराज' की व्यंजना इसकी ओर संकेत करती है। पंचायती राज के बारे में विद्वानों के पक्ष–विपक्ष में विचार है।

डब्लू ए0 राब्सन के अनुसार[7]– सामान्यतः स्थानीय शासन मे एक ऐसे प्रादेशिक प्रभुत्वहीन समुदाय की धारणा निहित होती है जिसके पास अपने मामलों का नियमन करने का विधिक अधिकार तथा आवश्यक संगठन हुआ करता है, जो वाह्य नियंत्रण से मुक्त रहकर काम कर सके, साथ ही यह भी जरूरी है कि

स्थानीय समुदाय का अपने मामलों के प्रशासन में हिस्सा हो। स्थानीय शासन के ये तत्त्व किस सीमा तक विद्यमान होते हैं। इस विषय में न्यूनाधिक अन्तर हो सकता है।

इसी प्रकार हैराल्ड लास्की का कथन है कि[8]– हम लोकतांत्रिक शासन से पूरा लाभ उस समय तक नहीं उठा सकते जब तक कि हम यह न मान ले कि सभी समस्याओं को उन्हीं स्थानों पर उन्हीं लोगों द्वारा हल किया जाना चाहिए जो इन समस्याओं से सबसे अधिक प्रभावित होते है।

ऊपर के दोनों उदाहरणों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि स्थानीय स्वशासन का होना प्रजातंत्र के लिए आवश्यक हैं क्योंकि इससे प्रजातंत्र का स्वाभाविक विकास होता है तथा प्रजातंत्र मजबूत होता है इसे हमारे राष्ट्रीय नेता ने अच्छी प्रकार समझा था। अपने जीवन काल में उसका प्रयोग किया। नेहरु जी ने पंचायती राज को सर्वाधिक महत्त्व दिया उन्होंने दीप जलाकर उसका स्वागत किया। इतना ही नहीं मेहता समिति के रिपोर्ट के आधार पर पूरे भारत में उसका विस्तार हुआ।

एम0 असलम 'पंचायत राज इन इंडिया में लिखते है'[9]– 1959 में पंचायत एक्ट सभी प्रान्तों में पास हो गया। 2;17,300 से अधिक पंचायतें जो पूरे गाँवों के निवासियों (5,79,000 गाँवों के) की 96% थी। उसमें 92% ग्रामीण जनसंख्या का भाग था। 4526 पंचायत समितियाँ ब्लाक/तहसील स्तर पर स्थापित हुई जो ब्लाक की संख्या के 88% थी। औसतन पंचायत समिति 48 ग्राम पंचायतों का प्रतिनिधित्व करती थी।

330 जिला परिषदें 76% देश के जिलों का प्रतिनिधित्व करती थी एक जिला परिषद में औसतन 13–14 पंचायत समितियाँ थीं जिनमें 660 ग्राम पंचायत कार्य करती थीं। निश्चित रूप से यह पंचायती राज की शानदार शुरुआत थी। ग्रामीण जनता में उत्साह जगा। जीवन में नई भावना पैदा हुई। वे पंचायत राज संस्था के उदीयमान हिन थे। 1959–1964 तक पंचायती राज के स्वर्णिम दिन थे। आगे के दिनों में कुछ समय तक गाँवों तथा नगरों में सामाजिक, आर्थिक एंव सांस्कृतिक विकास में इन संस्थाओं की सक्रिय भूमिका रही, किन्तु पंडित जवाहर लाल नेहरु की मृत्यु के बाद पंचायती राज व्यवस्था दुर्भाग्य के दौर से गुजरने लग गई तथा पंचायती राज व्यवस्था के उस कार्यक्रम को जबर्दस्त आघात पहुँचा, जिस पर ग्रामीण जनता अपनी स्थिति सुधार की सारी उम्मीद लगा रखीं थी। वे प्रशासनिक रूप से पंगु, आर्थिक दृष्टि से कमजोर, जटिल प्रक्रियाओं के जाल में फँसकर इतनी कमजोर हो गई कि उन्हें पहचानना कठिन हो गया।

निष्कर्षत: यह बलवन्त की ही रिपोर्ट थी जिसने पंचायती राज को आधार प्रदान करने का कार्य किया। इसने क्षेत्रों का चुनाव किया, आय के साधनों का समावेश करने का प्रयास किया, साथ ही साथ तीनों प्रकार के आधारों को एक में संयोजित करने का प्रयत्न किया, भले ही परिस्थितियोंवश इसमें वाद में दोष आने लगे।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची :

1. असलम, एम0 : 'पंचायती राज इन इंडिया', पृ0 19
2. असलम, एम0 : 'पंचायती राज इन इंडिया', पृ0 20
3. कुमार, हरीश खत्री : 'भारत में पंचायती राज', पृ0 14
4. वही, पृ0 14
5. कुमार, हरीश खत्री : 'भारत में पंचायती राज', पृ0 15
6. असलम, एम0 : 'पंचायती राज इन इंडिया', पृ0 21
7. कुमार, हरीश खत्री : 'भारत में पंचायती राज', पृ0 95
8. आर्शीवादम, एडी तथा मिश्र, कृष्णकान्त : 'राजनीति विज्ञान', पृ0 664
9. असलम, एम0 : 'पंचायती राज इन इंडिया', पृ0 22